न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)
बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस
प्रकरण संख्या–36 / 2024 प्रा.प.

उनवान

1. श्री शंकर पिता हेमराज सेवक निवासी सेरिया तहसील सलूम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)।

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री प्रभुलाल पिता कानजी उम्र बालिग निवासी सेरिया, तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)
2. भूमिधारी तहसीलदार सलूम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 ले.रे.एक्ट

–::निर्णय::–

दिनांकः–07/01/25

उपस्थितिः– श्री महेश कुमार जोशी अधिवक्ता – प्रार्थी
श्री गेबीलाल मेहता अधिवक्ता– विपक्षी सं. 1

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर अंकित किया कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जे की आराजी ग्राम सेरिया पटवार हकला सेरिया तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर मे स्थित है जिसके आराजी नम्बर 5715 रकबा 0.03 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 5720 रकबा 0.11 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थी की उक्त आराजी नम्बर 5715 रकबा 0.03 हैक्टेयर के पडौसी विपक्षीगण के स्वामित्व की आराजीयात भी पास स्थित है, विपक्षी सं. 1 के एकल स्वामित्व की आराजी सं. 5716 रकबा 0.01 हैक्टेयर भूमि तथा आराजी नम्बर 5724 रकबा 0.01 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 की आराजी पास–पास होने से आराजी का सीमांकन कराने के लिये आवेदन किया लेकिन विपक्षी सं. 1 ने सीमांकन नहीं कराने दिया और आपसी विवाद समाप्त नहीं हुआ है और ना ही स्पष्ट जानकारी मिली कि किसकी जमीन की कहां तक सीमा है जिस कारण प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 में कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजी एवं विपक्षी सं. 1 की आराजी की मौके पर पटवारी हलका को ले जाकर मौका निरीक्षण भी करावाया एवं दिनांक 24–03–2023 को श्रीमान् तहसीलदार सलूम्बर को एक प्रार्थना पत्र प्रेषित कर विपक्षी सं. 1 द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर जबरन निर्माण एवं कब्जा किया था जिसको हटाने बाबत् एक प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन विपक्षी सं. 1 पटवारी हल्का की बात मानने को तैयार नही है और सीमा जानकारी नहीं करवाने दे रहे है जिससे प्रार्थी की उक्त आराजीयात एवं विपक्षीगण की आराजी की पुनःसीमा जानकारी कर पत्थर गढी किया जाना न्यायहित में आवश्यक हो गया है। जिससे दोनों पक्षों के मध्य चला आ रहा विवाद समाप्त हो सके तथा दोनों पक्ष अपने स्वामित्व की आराजीयात पर बेरोकटोक आवागगन एवं शांतिपूर्वक कृषि कार्य कर सके। प्रार्थी नियमानुसार सीमा जानकारी व पत्थरगढी का खर्च करने को तैयार है।

...यक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री गेवीलाल मेहता ने वकालतनामा एवं जवाब पेश कर अंकित किया कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 5715 रकबा 0.0300 हैक्टेयर भूमि मे से रकबा 0.0100 हैक्टेयर भूमि विपक्षी के कब्जे मे होकर सन् 1998 मे इन्द्रा आवास के तहत स्वीकृत राशि से विपक्षी ने पक्का मकान बना रखा है ओर जिसमे आज तक विपक्षी सं. 1 अपने परिवार सहित निवासरत होकर उपयोग, उपभोग कर रहा है। सन् 1992 में प्रार्थी की पत्नी श्रीमती उमियादेवी व प्रार्थी के पुत्र उदयराम ने प्रार्थी की सहमती से 14000/–रू. मे विपक्षी संख्या 1 की मॉ को आराजी नम्बर 5715 मे से रकबा 0.0100 हैक्टेयर भूमि बेच दी थी जिसकी बही मे लिखतम कर दी ओर विपक्षी की मॉ को मौके पर कब्जा दे दिया जिस पर सन् 1998 से विपक्षी व उसका परिवार मकान बनाकर निवासरत हैं। वादग्रस्त आराजी नम्बर 5715 मे बने विपक्षी के मकान पर आने–जाने का राजस्व रेकार्ड मे कोई रास्ता नही था तो दिनांक 10–09–2021 को प्रार्थी के परिवारजनों ने विपक्षी से आपसी समझौता किया जिसकी भी एक लिखतम प्रार्थी के परिवारजन तथा समाज के गॉव के लोगो ने कर रखी है जिसके तहत 8000/–रू. पृथक से प्रार्थीगण के परिवाजनो ने विपक्षी से 8001/–रू. नकद लेकर रास्ते की लिखतम भी कर दी तथा मौके पर रास्ता खुला छोड रखा है, इससे भी साबित होता है कि प्रार्थी व उसका परिवार विपक्षी के आराजी नम्बर 5715 पर निर्मित मकान से सहमत है। मौके पर कोई विवाद नही है, प्रार्थी व विपक्षी एक ही परिवार के है किन्तु अब प्रार्थी व उसके परिवारजनों की नियत मे खोट आ गई है इसलिये प्रार्थी एक गरीबी रेखा से निचे जीवनयापन करने वाला व्यक्ति है जो मेहनत मजदुरी कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है जिससे प्रार्थी व उसका परिवार गैर कानूनी तोर से वसुली करना चाहता है इस हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल निरस्त है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

भूमिधारी तहसीलदार सलूम्बर ने अपने जवाब मे अंकित किया कि प्रार्थी के आराजीयात की भूमि पर पत्थरगढी का आदेश दिया जाता है तो कोई आपत्ति नही है।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी की बहस अपने प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी की बहस अपने जवाब अनुसार रही। बहस मनन की गई तथा पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि का रेकॉर्डेड खातेदार है। प्रार्थी एवं विपक्षी की भूमि पास–पास होने से बहस के दोहरान 0.0100 हैक्टेयर भूमि को लेकर उभयपक्ष के मध्य सीमा को लेकर विवाद होना जाहिर आया है।

अतः प्रार्थी के आराजीयात की भूमि की सीमा जानकारी किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सलूम्बर को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी से सीमा जानकारी हेतु शुल्क नियमानुसार वसुला जाकर राजकोष मे जामा कर प्रार्थी के आराजी की सीमा जानकारी करे। तथा विपक्षी अपने आराजीयात की सीमा जानकारी कराये जाने हेतु स्वतन्त्र है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय दिनांक 07/01/25 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर • सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)

(पर्वत सिंह चूण्डावत RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
जिला सलूम्बर